बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः—08 / अ0प्र0—02—09 / 2021 3482 पटना, दिनांक— 28/7/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः— लेखा लिपिक संवर्ग के कर्मियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन के पश्चात् अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः— (i) विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—144 सह—पठित ज्ञापांक—2691 दिनांक—30.06.2021,

(ii) विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—147 सह—पठित ज्ञापांक—2817 दिनांक—30.06.2021

(iii) विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—180 सह—पठित ज्ञापांक—3481 दिनांक—28/07/21

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि लेखा लिपिक संवर्ग के कर्मियों का कार्यहित में प्रशासनिक कारणों एवं अभ्यावेदन के आधार पर विभाग के अन्तर्गत अंचलों / प्रमंडलों में पदस्थापित किया गया है। उक्त आदेश के क्रमांक—26 एवं 28 का स्थानान्तरण / पदस्थापन स्थगित किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध कतिपय कर्मियों द्वारा अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जबकि इन कर्मियों को माह अप्रैल में ही अपना अभ्यावेदन नियमानुकूल ढ़ंग से समर्पित करना था। फलतः शेष कर्मियों के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन मांग किये जाने के प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अतः वर्णित स्थिति एवं तथ्यों के आलोक में निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—144 सह—पठित ज्ञापांक—2691 दिनांक—30.06.2021 (क्रमांक—26 एवं 28 को छोड़कर) द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं सात दिनों के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया जाय। इस आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के स्थिति में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी एवं संबंधित लेखा लिपिक के विरूद्ध अनुशासनहिंता / आदेश की अवहेलना के आरोप में विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

28/7/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—08 / अ0प्र0—02—09 / 2021 3482 पटना, दिनांक— 28/7/21

प्रतिलिपिः—सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव / उप सचिव / विभागीय निगरानी प्रशाखा—02 एवं 03 / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—08 / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/21

अभियंता प्रमुख

(C. Shek..), Letter